भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1227

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**यातना-रोधी विधेयक का प्रारूप**

**1227. श्री हुसैन दलवई :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा अपने 273वें प्रतिवेदन में यातना-रोधी विधेयक का प्रावधान किए जाने के बाद यातना रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो कारणों सहित प्राप्त हुए प्रत्युत्तरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय भारतीय दंड संहिता की धारा 330 एवं धारा 331 में भी संशोधन करने पर विचार कर रहा है, यदि हां, तो इस दिशा में प्रगति का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की मंशा विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार यातना के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय का अनुसमर्थन करने की है ;

(ङ) यदि हां, तो अनुसमर्थन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (च) :** ‘यातना और अन्य क्रूरता और अमानवीय और तिरस्कारपूर्ण उपचार या दण्ड के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ के अनुसमर्थन में एक विधेयक अर्थात ‘यातना निवारण विधेयक, 2010’ तारीख 26.04.2010 लोक सभा में गृह मंत्रालय द्वारा पुरःस्थापित किया गया और जिसे 07.05.2010 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था । जब विधेयक को राज्य सभा में विचार करने के लिए लाया गया था तो उसे चयन समिति को अग्रेषित किया गया था जिसमें विधेयक में कतिपय परिवर्धन और उपान्तरण की सिफारिश की गई । तथापि, 18 मई, 2014 को लोक सभा के विघटन के कारण विधेयक व्यपगत हो गया था ।

2. इसके पश्चात उसमें ‘यातना’ को सम्मिलित करने के लिए भारतीय दंण्ड संहिता की विद्यमान धारा 330 और 331 का संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव विरचित किया गया था । प्रस्तावित संशोधनों के पर्याप्तता और विधायी आशय पर उनकी टिप्पणियों की मांग के कारण इसे 31.05.2017 को भारत विधि आयोग अग्रेषित किया गया था । विधि आयोग ने समीक्षा करने पश्चात प्रारुप विरचना पर 30.10.2017 को ‘यातना और अन्य क्रूरता और अमानवीय और तिरस्कारपूर्ण उपचार या दण्ड के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ के क्रियान्यव्यन पर अपनी 273वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट में विधि आयोग ने दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 में पारिणामिक संशोधनों को करने के साथ-साथ स्टेडअलोन लेजिस्लेशन के लिए सिफारिश की थी । भारत के विधि आयोग ने भी “यातना निवारण विधेयक, 2017” नामक एक प्रारुप विधेयक प्रस्तुत किया है ।

3. जैसा कि दंण्ड विधियां समवर्ती सूची में आती है, प्रारुप विधेयक के साथ विधि आयोग की यह रिपोर्ट 28.02.2018 को सभी राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी टिप्पणियां के लिए परिचालित कर दिया गया था । आज की तारीख तक 2 राज्यों (मेघालय, झारखंड़) तथा एक संघ राज्यक्षेत्र (चंडीगढ) की टिप्पणियां प्राप्त हुई है जहां वे विधि आयोग को द्वारा दी गई सिफारिशों से सहमत नहीं है । शेष राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्रों से विचारों को शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए 27.06.2018 को स्मरण कराया गया है । मामले में विनिश्चय सभी राज्य सरकारों के केवल टिप्पणियों/विचार की प्राप्ति के पश्चात अपनाया जा सकता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*